न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 25/2026 (Bank Case)
GCMS No. 2026/30

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कार्यालय– खातोली, कोटा राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री दिलीप कौर।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्रीमती कला बाई पत्नी श्री कैलाश मीना –(ऋणी/बंधककर्ता)
2. श्री कैलाश मीना पुत्र श्री पन्ना लाल मीना
   निवासीगण– ग्राम गुवाडी, पोस्ट– बागली, तह0– पीपल्दा, जिला– कोटा
3. श्री छितरलाल गुर्जर पुत्र श्री छगन लाल गुर्जर
   पता– ग्राम–खातोली, तह0– पीपल्दा, जिला– कोटा
4. श्री सीता राम मीना पुत्र श्री सांवला मीणा
   पता– ग्राम–रामखेडा, पोस्ट जटवाडा, तह0– पीपल्दा, जिला– कोटा

–(ऋणी/बंधककर्ता)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 25.02.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कार्यालय– खातोली, कोटा राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 10.08.2009 को रूपये 2,25,000/–(अक्षरेः दो लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र), का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्रीमती कला बाई पत्नी श्री कैलाश चंद मीना की एक आवासीय सम्पत्ति मकान जो खसरा नम्बर 181, पट्टा नं0 1881/08, ग्राम गुवाडी, पोस्ट– बागली, तहसील– पीपल्दा, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 2700 वर्गफीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में–रोड, पश्चिम में– मदन लाल का मकान, उत्तर में– किशन लाल का मकान, दक्षिण में– बिहारी लाल का मकान,** है को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 29.06.2012 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 7,38,339.90/–(अक्षरे सात लाख, अडतीस हजार तीन सौ उनतालीस रूपये एवं नब्बे पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 05.05.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 05.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि

मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 05.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 05.05.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्रीमती कला बाई पत्नी श्री कैलाश चंद मीना की एक आवासीय सम्पत्ति मकान जो खसरा नम्बर 181, पट्टा नं0 1881/08, ग्राम गुवाडी, पोस्ट– बागली, तहसील– पीपल्दा, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 2700 वर्गफीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में–रोड, पश्चिम में– मदन लाल का मकान, उत्तर में– किशन लाल का मकान, दक्षिण में– बिहारी लाल का मकान,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 25 .02.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)